झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या– वनभूमि–18/2019– **व०प०, राँची, दिनांक–**

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड द्वारा भूमिगत वाटर पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल–13.3293 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/JH/others/32773/2018/4489 **दिनांक–29.01.2021**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज–II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1263 दिनांक–08.10.2021, पत्रांक–1146 दिनांक–16.09.2021 एवं पत्रांक–742 दिनांक–28.06.2021 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 12.5766 हे0 वनभूमि इस शर्त के साथ विमुक्त की जाती है कि शर्त संख्या–10 के अनुपालन के क्रम में विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित योजना को उसी रूप में लागू किया जायगा, जैसा कि इसके अनुपालन स्थिति (Compliance status) में अंकित है।

प्रस्ताव में सन्निहित 0.7527 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल–झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तद्नुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2019– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2019– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड–834002 को अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

ह0/–
उप परामर्शी।

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- forestjhr@gmail.com

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2019– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्टेज–II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 0.7527 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2019– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमंडल/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल/Head Corporate Affairs M/s Adani Power (Jharkhand) Limited, 3rd Floor Lake view Tower, Kadru Diversion Road, Doranda, Ranchi-834002 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2019– 3598 व0प0, राँची दिनांक– 20/12/2021

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website **"forest.jharkhand.gov.in"** पर Upload करने हेतु प्रेषित।

20/12/2021
उप परामर्शी।